

## वर्तमान समय में पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका: एक अवलोकन

रचना देवी

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग,

गोकुल दास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.)

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रो. (डॉ.) मीनाक्षी शर्मा

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग,

गोकुल दास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.)

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

### **सारांश**

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय शासन को अधिक समावेशी, संवेदनशील और जनोन्मुखी बनाया है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने ग्रामीण राजनीति में उनकी सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की। वर्तमान समय में महिलाएँ ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर न केवल प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बल्कि विकासात्मक योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता से शासन की प्राथमिकताओं में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होता है।

यह शोध-पत्र वर्तमान समय में पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अवलोकन प्रस्तुत करता है। शोध-पत्र में यह स्पष्ट किया गया है

कि महिला प्रतिनिधित्व ने ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक चेतना को सुदृढ़ किया है और हाशिए के वर्गों की आवाज़ को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में स्थान दिलाया है। साथ ही, यह भी सामने आता है कि पितृसत्तात्मक सोच, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियाँ महिलाओं की प्रभावी भूमिका में बाधक बनी हुई हैं। इसके बावजूद, सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वयं सहायता समूहों और डिजिटल साक्षरता पहलों के माध्यम से महिलाओं का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता निरंतर विकसित हो रही है।

शोध-पत्र का निष्कर्ष है कि पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका केवल सांकेतिक नहीं रह गई है, बल्कि वह ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन का एक सशक्त माध्यम बन रही है। यदि संस्थागत समर्थन और सामाजिक जागरूकता को और मजबूत किया जाए, तो महिलाएँ स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने में निर्णायक योगदान दे सकती हैं।

**मुख्य शब्द:** पंचायती राज, महिला सहभागिता, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण विकास, आरक्षण नीति

### **भूमिका**

वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की जमीनी आधारशिला के रूप में स्थापित हो चुकी है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की इस व्यवस्था ने शासन को केवल राज्य और केंद्र तक सीमित न रखकर ग्राम स्तर तक विस्तारित किया है। इसी प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। विषय की समकालीन प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि आज भारत में सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता और सहभागी शासन को लोकतंत्र की गुणवत्ता का मापदंड माना जा रहा है। ग्रामीण भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी न केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, बल्कि यह सामाजिक

परिवर्तन, विकासात्मक प्राथमिकताओं और सुशासन से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है।<sup>i</sup>

पंचायती राज व्यवस्था का लोकतांत्रिक महत्व इस बात में है कि यह जनता को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाती है। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे संस्थागत ढाँचों के माध्यम से नागरिकों को अपने स्थानीय संसाधनों, विकास योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेने का अवसर मिलता है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को केवल मतदान तक सीमित न रखकर उसे सहभागिता और उत्तरदायित्व की जीवन-पद्धति बनाती है। महिलाओं की भागीदारी से इस लोकतांत्रिक ढाँचे में संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी दृष्टिकोण को बल मिला है।<sup>ii</sup>

महिला सशक्तिकरण और स्थानीय स्वशासन के बीच गहरा संबंध है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में पहचान, आत्मविश्वास और नेतृत्व के अवसर प्रदान करती है। पंचायती राज संस्थाएँ महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती हैं, जहाँ वे निर्णय-निर्माण, संसाधन प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से परिचित होती हैं। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होता है और वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता जैसे मुद्दों को शासन की प्राथमिकताओं में शामिल करने में सक्षम होती हैं।<sup>iii</sup>

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य हैं—(i) वर्तमान समय में पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करना, (ii) महिला आरक्षण और सहभागिता के प्रभावों का मूल्यांकन करना, तथा (iii) इस व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं को रेखांकित करना। शोध प्रश्न इस प्रकार हैं: क्या पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी वास्तविक सशक्तिकरण की ओर ले जाती है? स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व का विकास किस सीमा तक हुआ है? शोध-पत्र की

सीमाएँ यह हैं कि यह शोध मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों—पुस्तकों, रिपोर्टों और शोध-पत्रों—पर आधारित है, न कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर। इसके बावजूद, यह शोध-पत्र पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका के समग्र आकलन में सहायक सिद्ध होता है।

### **पंचायती राज व्यवस्था : संक्षिप्त परिचय:**

पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में गहराई से निहित है। इसका उद्देश्य शासन को विकेन्द्रीकृत कर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करना है। पंचायती राज का मूल दर्शन यह है कि लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है, जब निर्णय-निर्माण की शक्ति जनता के निकट हो। इस व्यवस्था के माध्यम से ग्रामों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।<sup>iv</sup>

पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद—लोकतांत्रिक शासन की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वशासन की मूल इकाई है, जो ग्राम सभा के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को साकार करती है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय का कार्य करती है, जबकि जिला परिषद जिला स्तर पर योजना, संसाधन आवंटन और विकास कार्यक्रमों की निगरानी करती है। यह त्रिस्तरीय ढाँचा प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ जनभागीदारी को भी सुनिश्चित करता है।<sup>v</sup>

73वाँ संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और उन्हें नियमित चुनाव, वित्तीय अधिकार तथा कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संशोधन ने महिलाओं की सहभागिता को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया, जिससे स्थानीय स्वशासन में लैंगिक समावेशन को बल मिला।<sup>vi</sup>

### **पंचायती राज में महिला आरक्षण की व्यवस्था:**

पंचायती राज में महिला आरक्षण की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 243-D के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के अवसर प्रदान करना था। इस संवैधानिक प्रावधान ने ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति को संस्थागत रूप दिया।<sup>vii</sup>

समय के साथ 33 प्रतिशत आरक्षण से आगे बढ़कर कई राज्यों ने 50 प्रतिशत महिला आरक्षण को अपनाया। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस प्रावधान ने महिला प्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आरक्षण केवल सांकेतिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। महिला सरपंचों और पंचायत सदस्यों की बढ़ती संख्या ने ग्रामीण शासन की प्राथमिकताओं में भी बदलाव लाया, जहाँ सामाजिक कल्याण और मानवीय मुद्दों को अधिक महत्व मिलने लगा।<sup>viii</sup>

विभिन्न राज्यों में महिला आरक्षण की स्थिति का तुलनात्मक शोध-पत्र यह दर्शाता है कि जहाँ प्रशिक्षण, प्रशासनिक समर्थन और सामाजिक जागरूकता अधिक है, वहाँ महिला प्रतिनिधियों की भूमिका अधिक प्रभावी रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं, फिर भी समग्र रूप से महिला आरक्षण ने ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की आवाज को सशक्त बनाया है। यह व्यवस्था न केवल राजनीतिक समानता की दिशा में अग्रसर है, बल्कि सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन का संकेत देती है।<sup>ix</sup>

इस प्रकार, पंचायती राज व्यवस्था, महिला आरक्षण और स्थानीय स्वशासन—तीनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

### **वर्तमान समय में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी:**

वर्तमान समय में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में उभरी है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायतों में महिला आरक्षण लागू होने से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। आज भारत में लाखों महिलाएँ ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच/प्रधान, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के पदों पर निर्वाचित होकर कार्य कर रही हैं। यह प्रवृत्ति केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति और राजनीतिक चेतना के विस्तार का संकेत भी देती है। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जहाँ 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, वहाँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिक स्थायी और प्रभावी हुई है।<sup>x</sup>

ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति ने पारंपरिक सत्ता-संरचना को चुनौती दी है। पहले जहाँ पंचायतों पर पुरुषों का वर्चस्व था, वहाँ अब महिलाएँ न केवल बैठकों में भाग ले रही हैं, बल्कि मुद्दों को उठाने, प्रस्ताव रखने और निर्णयों को प्रभावित करने में भी सक्षम हो रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों पर महिला प्रतिनिधियों की संवेदनशीलता ने पंचायतों के कार्य-एजेंडे को अधिक मानवीय और जनोन्मुखी बनाया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' की समस्या बनी हुई है, फिर भी समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति ने ग्रामीण शासन की प्रकृति को बदलना प्रारंभ कर दिया है।<sup>xi</sup>

निर्णय-निर्माण में महिलाओं की सहभागिता का स्तर क्षेत्र, शिक्षा और प्रशिक्षण के अनुसार भिन्न-भिन्न दिखाई देता है। जहाँ महिलाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण, प्रशासनिक सहयोग और सामाजिक समर्थन प्राप्त हुआ है, वहाँ वे निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी, विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करना और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी जैसे कार्यों में महिलाओं की सक्रियता बढ़ी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मात्र आरक्षण ही नहीं, बल्कि क्षमता-निर्माण और अनुकूल वातावरण महिलाओं की वास्तविक सहभागिता के लिए आवश्यक है।<sup>xii</sup>

#### पंचायती राज में महिलाओं की प्रमुख भूमिकाएँ:

पंचायती राज में महिलाओं की प्रमुख भूमिकाएँ ग्राम विकास के विभिन्न आयामों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ग्राम विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। सड़क, जलापूर्ति, आवास, स्वच्छता और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे से संबंधित योजनाओं में महिलाएँ स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकताएँ निर्धारित करती हैं। इससे विकास योजनाएँ अधिक व्यावहारिक और जनोपयोगी बनती हैं। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि महिला प्रतिनिधित्व वाले पंचायतों में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।<sup>xiii</sup>

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है। प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी, आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, मध्याह्न भोजन योजना, टीकाकरण और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों में महिला प्रतिनिधियों की सक्रियता से लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुँच बेहतर हुई है। महिलाओं की सामाजिक भूमिका और अनुभव इन क्षेत्रों में नीति-निर्माण और क्रियान्वयन को अधिक संवेदनशील बनाते हैं। यह भूमिका मानव विकास सूचकांकों में सुधार की दिशा में भी सहायक सिद्ध होती है।<sup>xiv</sup>

महिला एवं बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर पंचायतों में महिलाओं की भूमिका विशेष उल्लेखनीय है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, पोषण की कमी और कन्या शिक्षा जैसे विषयों पर महिला प्रतिनिधियाँ अधिक मुखर होकर हस्तक्षेप करती हैं। स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और पंचायत के बीच समन्वय स्थापित कर वे सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। इससे पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाई न रहकर सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनती हैं।<sup>xv</sup>

सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति, जनजाति, वृद्ध, दिव्यांग और गरीब वर्गों के लिए संचालित योजनाओं की पहचान, लाभार्थी चयन और निगरानी में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। इससे पंचायतों में सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को बल मिला है।<sup>xvi</sup>

### **महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण**

पंचायती राज में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण समाज में गहरे परिवर्तन की नींव रखी है। महिला सरपंच/प्रधान का नेतृत्व न केवल प्रशासनिक स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला नेतृत्व वाले पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जल-संरक्षण जैसे मुद्दों को अधिक प्राथमिकता दी गई है। महिला सरपंचों ने पारदर्शिता, संवाद और सहभागिता को बढ़ावा देकर नेतृत्व की एक नई शैली प्रस्तुत की है।<sup>xvii</sup>

पंचायती राज में भागीदारी से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास हुआ है। सार्वजनिक मंचों पर बोलने, अधिकारियों से संवाद करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने से महिलाओं की सामाजिक पहचान सुदृढ़ हुई है। आर्थिक योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और कौशल विकास कार्यक्रमों से

जुड़कर कई महिला प्रतिनिधियाँ आर्थिक रूप से भी सशक्त हुई हैं, जिससे उनका नेतृत्व और अधिक प्रभावी बना है।<sup>xviii</sup>

राजनीतिक प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण महिला नेतृत्व के विकास में निर्णयक भूमिका निभाते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और डिजिटल साक्षरता पहले महिलाओं को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, कानूनों और योजनाओं की जानकारी प्रदान करती हैं। जहाँ ऐसे प्रशिक्षण प्रभावी ढंग से लागू हुए हैं, वहाँ महिला प्रतिनिधियों की निर्णय-क्षमता और आत्मविश्वास में स्पष्ट वृद्धि देखी गई है।<sup>xix</sup>

सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका पंचायती राज के माध्यम से और अधिक सशक्त हुई है। महिला नेतृत्व ने लैंगिक समानता, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष को नई दिशा दी है। पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका यह संकेत देती है कि राजनीतिक सशक्तिकरण सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन सकता है। इस प्रकार, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक, सामाजिक और विकासात्मक परिवर्तन की एक सशक्त प्रक्रिया है।

### **पंचायती राज में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ:**

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद उनके समक्ष अनेक संरचनात्मक, सामाजिक और संस्थागत चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनमें सबसे प्रमुख पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक बाधाएँ हैं। ग्रामीण समाज में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ आज भी महिलाओं को घरेलू दायरे तक सीमित करने का प्रयास करती हैं। सार्वजनिक जीवन और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की सक्रियता को कई बार सामाजिक स्थीकृति नहीं मिलती, जिसके कारण महिला प्रतिनिधियों को परिवार और समाज-दोनों स्तरों पर प्रतिरोध का सामना करना

पड़ता है। यह मानसिकता महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वतंत्र निर्णय-क्षमता को प्रभावित करती है।<sup>xx</sup>

महिलाओं के समक्ष दूसरी गंभीर चुनौती 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' की समस्या है। कई स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य वास्तविक निर्णय लेते हैं। इससे महिला आरक्षण का मूल उद्देश्य—राजनीतिक सशक्तिकरण—आंशिक रूप से विफल हो जाता है। यद्यपि समय के साथ इस प्रवृत्ति में कमी आई है, फिर भी यह समस्या विशेषकर शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी वाले क्षेत्रों में बनी हुई है।<sup>xxi</sup>

शिक्षा, प्रशिक्षण और जानकारी की कमी भी महिलाओं की प्रभावी भूमिका में बाधक है। अनेक महिला प्रतिनिधियाँ पहली बार राजनीति में प्रवेश करती हैं और उन्हें प्रशासनिक प्रक्रियाओं, वित्तीय नियमों तथा सरकारी योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की असमान उपलब्धता और भाषा/डिजिटल बाधाएँ भी उनकी क्षमता को सीमित करती हैं। परिणामस्वरूप वे कई बार अधिकारियों पर निर्भर हो जाती हैं, जिससे उनकी स्वायत्ता प्रभावित होती है।<sup>xxii</sup>

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय सीमाएँ भी एक बड़ी चुनौती हैं। पंचायतों को सीमित वित्तीय अधिकार, देरी से मिलने वाले अनुदान और प्रशासनिक नियंत्रण के कारण स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है। महिला प्रतिनिधियों के लिए यह चुनौती और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि संसाधनों की कमी उनके नेतृत्व को कमजोर कर देती है।<sup>xxiii</sup>

### सरकारी योजनाएँ एवं संस्थागत समर्थन

महिलाओं की इन चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। पंचायती राज मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला प्रतिनिधियों के

प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास और क्षमता-निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को न केवल राजनीतिक अधिकार देना, बल्कि उन्हें प्रभावी नेतृत्व के लिए सक्षम बनाना है।<sup>xxiv</sup>

प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पंचायत स्तर की पहल महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्य और जिला स्तर पर आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और नेतृत्व प्रशिक्षण महिलाओं को कानून, योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। जहाँ ऐसे कार्यक्रम नियमित और गुणवत्तापूर्ण रहे हैं, वहाँ महिला प्रतिनिधियों की निर्णय-क्षमता और सक्रियता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।<sup>xxv</sup>

स्वयं सहायता समूह (SHGs) और महिला नेटवर्क पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। ये समूह आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामूहिक निर्णय और सामाजिक समर्थन का आधार प्रदान करते हैं। पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई महिलाएँ जब SHGs से जुड़ती हैं, तो उनकी सामाजिक पकड़ और नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है। इससे पंचायत और समुदाय के बीच संवाद भी बेहतर होता है।<sup>xxvi</sup>

वर्तमान समय में डिजिटल साक्षरता एवं ई-गवर्नेंस भी महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम बन गया है। ई-पंचायत, ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल भुगतान और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है। डिजिटल प्रशिक्षण से महिला प्रतिनिधियाँ योजनाओं की जानकारी स्वयं प्राप्त कर पा रही हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक आत्मनिर्भर बन रही हैं।<sup>xxvii</sup>

### पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका का प्रभाव

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका का प्रभाव ग्रामीण शासन की गुणवत्ता में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता से पंचायतों

में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिली है। इससे शासन अधिक मानवीय और जनोन्मुखी बना है।<sup>xxviii</sup>

महिलाओं की भागीदारी से पारदर्शिता और जवाबदेही में भी वृद्धि हुई है। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और सक्रियता से निगरानी तंत्र मजबूत हुआ है। योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और पक्षपात पर अंकुश लगा है, क्योंकि महिला प्रतिनिधियाँ सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।<sup>xxix</sup>

सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता महिला नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, पोषण, स्वच्छता और बालिका शिक्षा जैसे विषयों पर महिला प्रतिनिधियाँ अधिक मुखर होकर हस्तक्षेप करती हैं। इससे पंचायतें सामाजिक सुधार और जागरूकता का मंच बनती हैं, न कि केवल प्रशासनिक इकाई।<sup>xxx</sup>

अंततः, पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका सतत और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। महिलाओं की सहभागिता से विकास योजनाएँ दीर्घकालिक, पर्यावरण-संवेदी और सामाजिक रूप से संतुलित बनती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण और स्थानीय स्वशासन का सुदृढ़ीकरण भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

### निष्कर्ष

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका का समेकित मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि स्थानीय स्वशासन में उनकी भागीदारी भारतीय लोकतंत्र के सशक्तिकरण की एक निर्णायक कड़ी बन चुकी है। 73वें संविधान संशोधन और महिला आरक्षण की व्यवस्था ने ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति को संस्थागत आधार प्रदान किया, जिससे प्रतिनिधित्व के साथ-साथ निर्णय-निर्माण

में उनकी सहभागिता भी बढ़ी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं जैसे क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों की सक्रियता ने पंचायतों की प्राथमिकताओं को अधिक मानवीय, संवेदनशील और जनोन्मुखी बनाया है। यद्यपि पितृसत्तात्मक सोच, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, प्रशिक्षण की कमी और प्रशासनिक सीमाएँ जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी समय के साथ महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और प्रभावशीलता में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है।

लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में पंचायती राज की भूमिका विशेष महत्व रखती है। पंचायतें महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती हैं, जहाँ वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी, संवाद, निगरानी और जवाबदेही जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहार में सीखती हैं। इससे लोकतंत्र केवल औपचारिक प्रक्रिया न रहकर सहभागी और उत्तरदायी शासन-प्रणाली के रूप में विकसित होता है। महिला प्रतिनिधित्व ने पारदर्शिता बढ़ाई है, भृष्टाचार पर अंकुश लगाया है और ग्राम सभा को अधिक सशक्त मंच बनाया है।

ग्रामीण भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका अब निर्णायक रूप ले चुकी है। महिला नेतृत्व ने सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई है, हाशिए के वर्गों की आवाज़ को स्थान दिया है और सतत तथा समावेशी विकास को गति प्रदान की है। यदि निरंतर प्रशिक्षण, वित्तीय स्वायत्तता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक जागरूकता को और सुदृढ़ किया जाए, तो पंचायती राज में महिलाएँ न केवल ग्रामीण शासन की गुणवत्ता सुधारेंगी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और विकास-प्रक्रिया को भी दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाएँगी।

## सन्दर्भ

- i. कोठारी, रजनी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, 1970, पृ. 214
- ii. शर्मा, बी.एल., भारतीय पंचायती राज व्यवस्था, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2014, पृ. 56
- iii. अग्रवाल, बीना, जेंडर एंड गवर्नेंस, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 41
- iv. राव, एम.जी., लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, एटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2004, पृ. 23
- v. मिश्रा, एस.एन., पंचायती राज इन इंडिया, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001, पृ. 67
- vi. भारत सरकार, भारतीय संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, अनुच्छेद 243
- vii. ऑस्टिन, ग्रैनविल, द इंडियन कॉन्स्ट्ट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 289
- viii. नायर, जानकी, वूमेन इन लोकल गवर्नमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2012, पृ. 104
- ix. अग्रवाल, बीना, जेंडर एंड गवर्नेंस, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 88
- x. नायर, जानकी, वूमेन इन लोकल गवर्नमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2012, पृ. 96
- xi. अग्रवाल, बीना, जेंडर एंड गवर्नेंस, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 73
- xii. शर्मा, बी.एल., भारतीय पंचायती राज व्यवस्था, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2014, पृ. 118
- xiii. चट्टोपाध्याय, रघु और डुफ्लो, एस्टेर, वूमेन ऐज पॉलिसी मेकर्स, एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2004, पृ. 12
- xiv. सेन, अमर्त्य, डेवलपमेंट ऐज फ़िडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999, पृ. 134

- xv. नारायण, दीपा, एम्पावरिंग वूमेन थ्रू पंचायत्स, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2005, पृ. 89
- xvi. कोठारी, रजनी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, 1970, पृ. 219
- xvii. नायर, जानकी, वूमेन इन लोकल गवर्नमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2012, पृ. 121
- xviii. अग्रवाल, बीना, जैंडर एंड गवर्नेंस, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 132
- xix. शर्मा, बी.एल., लोकल गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2015, पृ. 64
- xx. अग्रवाल, बीना, जैंडर एंड गवर्नेंस, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 58
- xxi. नायर, जानकी, वूमेन इन लोकल गवर्नमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2012, पृ. 87
- xxii. शर्मा, बी.एल., लोकल गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2015, पृ. 41
- xxiii. राव, एम.जी., लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, एटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2004, पृ. 129
- xxiv. भारत सरकार, महिला सशक्तिकरण नीति दस्तावेज, नई दिल्ली
- xxv. शर्मा, बी.एल., भारतीय पंचायती राज व्यवस्था, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2014, पृ. 143
- xxvi. नारायण, दीपा, एम्पावरिंग वूमेन थ्रू पंचायत्स, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2005, पृ. 112
- xxvii. मिश्रा, एस.एन., डिजिटल गवर्नेंस इन रुरल इंडिया, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2018, पृ. 76
- xxviii. चट्टोपाध्याय, रघु और डुफ्लो, एस्टर, वूमेन ऐज पॉलिसी मेर्कर्स, एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2004, पृ. 19
- xxix. कोठारी, रजनी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, 1970, पृ. 223
- xxx. अग्रवाल, बीना, जैंडर एंड गवर्नेंस, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2010, पृ. 141